

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1053 / गोपनीय / 2021
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री मोहसिना खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, श्योपुर के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

आदेशानुसार,

Reg 18-12-21
*(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक 1054 / गोपनीय / 2021
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को उनके ज्ञापन क्रमांक 1270/दो-11-51/19/लेखा. दिनांक 26.10.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 सुश्री मोहसिना खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, श्योपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 एस.जे.ए., गोपनीय शाखा/डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

Reg 18-12-21
*(प्रमोद कुमार अग्रवाल)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)